न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/188/2022
सी एन आर नंबर :- RJBD140003852022

निर्णय दिनांकः- 28.03.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 95/2022 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. **शंकरलाल सैनी** पुत्र श्रवणलाल माली उम्र 53 साल, 2. **विष्णु कुमार उर्फ ललित** पुत्र शंकरलाल सैनी उम्र 25 साल, 3. **लवकुश उर्फ लोकेश सैनी** पुत्र श्रवणलाल माली उम्र 53 साल, 4. **महेन्द्र सैनी** पुत्र लवकुश उर्फ लोकेश सैनी उम्र 28 साल, 5. **श्रीमती संतोष बाई** पत्नी लवकुश उर्फ लोकेश सैनी माली उम्र 48 साल, निवासीगण छत्रपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद शरीफ, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	16.05.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	16.05.2022
आरोप पत्र की तिथि	30.06.2022
आरोप के विरचना की तिथि	30.06.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	16.09.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	28.03.2026
निर्णय की तिथि	28.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**शंकरलाल**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-

2.	**विष्णु कुमार उर्फ ललित**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-
3.	**लवकुश उर्फ लोकेश**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-
4.	**महेन्द्र**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-
5.	**संतोष बाई**	-	-	धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	गणेशलाल	एमएलसी रिपोर्ट साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	चेतन सैनी	तहरीरी रिपोर्ट साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	पवन सैनी	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	अनिता	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	भूली बाई	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	महावीर	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	खुशबू सैनी	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	शिवराज सैनी	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-9	कुलदीप	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-10	रूपसिंह	अनुसंधान साक्षी
अभियोजन साक्षी-11	लक्ष्मण सिंह	एफआईआर साक्षी
अभियोजन साक्षी-12	शंकरलाल	बयान साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–2, 11
3.	प्रदर्श पी-3	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–2, 11
4.	प्रदर्श पी-4	नक्शामौका	अभि. साक्षी–2, 3, 6, 10

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थी चेतन द्वारा थानाधिकारी, थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होकर एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 95 / 2022 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक 16.05.2022 को रात्रि 09.00 बजे के आसपास फरियादी घर पर था। वहीं पर उसकी मम्मी, पापा, बहन, भाई सभी बाहर से पडोसी शंकर, ललित, लोकेश, महेन्द्र, सुगना, संतोष बाई हाथों में लठी डन्डे लेकर हमारे घर के अन्दर आये और आते ही शंकर ने डण्डे की पवन के मारी जिससे उसकी उंगली में चोट आयी और फरियादी की मम्मी बहन बचने लगे तो उन्हें भी मारा। जान बचाने के लिए पडोस वालो को आवाज दी तो वे घर से बाहर निकल कर भाग गये...इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95 / 2022 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149

भा0दं0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 गणेशलाल, पी.ड02 चेतन सैनी, पी.ड03 पवन सैनी, पी.ड04 अनिता, पी.ड05 भूली बाई, पी.ड.06 महावीर, पी.ड.07 खुशबू सैनी, पी.ड.08 शिवराज, पी.ड.09 कुलदीप, पी.ड.10 रूपसिंह, पी.ड.11 लक्ष्मणसिंह व पी.ड.12 शंकरलाल को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.04 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.05.2021 को रात्रि करीब 09. 00 बजे ग्राम छत्रपुरा स्थित परिवादी के घर पर परिवादी चेतन को बिना

किसी विधिक प्रतिहेतु के निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं परिवादी चेतन व उसके परिवार के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा गाली–गलौच करते हुए लोकशांति भंग करने का अपराध किया एवं विधि विरुद्ध जमाव कर बल या हिंसा का प्रयोग किया एवं घातक आयुध या किसी आकामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु संभाव्य हो से सज्जित होते हुए बलवा का अपराध कारित किया ?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 गणेशलाल ने कथन किया है कि वह सी.एच.सी. इन्द्रगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। थाना इन्द्रगढ़ की तहरीर पर मजरूब पवन पुत्र शिवराज माली उम्र 21 वर्ष निवासी छतरपुरा की चोटों का मेडिकल मुआयना किया। चोट संख्या 1 खंरोच साइज 0.5 गुणा 0.5 सेमी. दायें हाथ के इंडेक्स फिंगर पर व चोट संख्या 2 साईज 1 गुणा आधा गुणा आधा सेमी. दाये पैर के घुटने पर कुचला हुआ घाव, दोनों चोट साधारण प्रकृति के कुदाले से कारित व 12 घण्टे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व मजरूम का पहचान चिह्न है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 चेतन सैनी ने कथन किया है कि दिनांक 16.05.2022 को रात 9 बजे की बात है। वह उसके घर पर उसकी मम्मी भूली बाई, पापा शिवराज, छोटे भाई दिनेश व पवन के साथ था। उसी समय वहां पर लोकेश, महेन्द्र, शंकर, ललित व शंकर की लड़की सुगना आये और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। जिसके कारण उसके छोटे भाई पवन को हाथ की अंगुली और पैर मे चोट आई। मुलजिमान के हाथों में डण्डे व एक पलटा था। घटना की रिपोर्ट उसने इन्द्रगढ़ थानों में करवायी थी। जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.03 है। घटना के दो दिन बाद पुलिस घ टनास्थल पर आई थी व नक्शामौका प्रदर्श पी.04 बनाया था जिन सभी पर उसके हस्ताक्षर है।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 पवन सैनी ने कथन किया है कि करीब दो साल पहले रात 9 बजे की बात है। वह उसके घर पर

अपनी मम्मी भूली बाई, पापा शिवराज, बडे भाई दिनेश व पवन के साथ था। उसी समय वहां पर लोकेश, महेन्द्र, शंकर, ललित व शंकर की लड़की सुगना आये और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। जिसके कारण उसके दाये हाथ की अंगुली व दाएं पैर के घुटने पर चोट आई। शंकर उसके दाये हाथ की अंगुली को चबा गया। मुलिजमान के हाथों में डण्डे व एक पलटा था। शंकरलाल व कुलदीप ने उनका बीच बचाव किया था। पुलिस ने उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना करवाया था। घटना की रिपोर्ट उसके भाई ने इन्द्रगढ़ थाने में करवाई थी। घटना के दो दिन बाद पुलिस घटनास्थल पर आई थी व नक्शामौका प्रदर्श पी.04 बनाया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 अनिता ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब दो साल पहले रात 9 बजे की बात है। वह और उसके पति महावीर घर पर ही थे। उसके जेठ शिवराज के मकान के बाहर पडोसी शंकरलाल, लोकेश, ललित, महेन्द्र और संतोष बाई खडें थे जो लट्ठ लिये हुए थे। उसके जेठ का परिवार अन्दर खाना खा रहे थे। ये लोग अन्दर घुस कर उसके जेठ के लड़के पवन और बुद्धिप्रकाश के साथ मारपीट करने लगे। उन लोगों ने व उनके अलावा उनके पड़ोसी शंकर और कुलदीप ने बीच बचाव कराया।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 भूली बाई ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दो साल पहले रात्रि 9 बजे की बात है। वह सभी घ ार के लोग खाना खा रहे थे। उनका पड़ोसी शंकरलाल जो सामने रहता है वह डण्डा लेकर मारने आया था। फिर शंकर के साथ लडडु, लल्लु, लोकेश, संतोषी बाई और सुगना व महेन्द्र आये और ये लोग पवन उर्फ बुद्धिप्रकाश के साथ मारपीट करने लगे। जिससे पवन के पैर और हाथ की अंगुली में चोट आयी। इन लोगों ने उसकी लड़की खुशबू को लेकर लड़ाई–झगड़ा किया था। फिर कुलदीप और महावीर ने बीच बचाव किया था।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 महावीर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.05.2022 को रात 9 बजे की बात है। वह घर पर खाना खा रहा था। उसके भाईसाहब शिवराज का मकान उसके पास ही है, उनके घर के बाहर गाली गलोंच और लड़ाई–झगड़े की आवाज आयी तब

उसने और उसकी पत्नी अनिता ने बाहर निकल कर देखा तो शंकर, लोकेश, महेन्द्र, संतोष, ललित उसके भाईसाहब शिवराज के साथ गाली गलोंच और लड़ाई–झगड़ा कर रहे थे। शंकर ने डण्डे की उसके भाई शिवराज के लडके पवन के पैर व हाथ की अंगुली में मारी थी। कुलदीप और शंकर ने बीच–बचाव किया। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी.04 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 खुशबू सैनी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.05.2022 की रात्रि 9 बजे की बात है, वह उसके घर छतरपुरा में थी। वहां उसका भाई पवन, उसके पिता शिवराज सैनी, भूलीबाई, पवन, चेतन पास में चाचा–चाची थे। शंकर गाली निकालता हुआ आया और उनके घर का गेट खोला, उसके भाई पवने के डण्डे से देने लगा। शंकरलाल उसको पकड़कर बाहर ले गया। शंकर के साथ ललित, लोकेश, महेन्द्र, संतोष, शंकर की लड़की सुगना थी। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया। बीच–बचाव कुलदीप वगै. ने कराया। उसके भाई के पैर व हाथ में चोट आयी। उसके बाल पकड़कर खींचे थे।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 शिवराज सैनी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.05.2022 को शाम को 9 बजे की बात है, वह उस समय घर पर था। उसके साथ घर पर उसकी पत्नी भूरी बाई, उसका बच्चा चेतन, दिनेश, खुशबू थे। तभी शंकरलाल, महेन्द्र, ललित, लोकेश, संतोष, सुगना हाथों में लकड़ियां लेकर आये। इन लोगों ने आते गाली–गलौच करते हुए उनके साथ मारपीट की। पवन के दाहिने पैर में शंकरलाल ने घुटने के पास मारी और दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट मारी। उनका बीच बचाव कुलदीप, शंकरलाल पुत्र फुन्दीलाल ने कराया।

17. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.09 कुलदीप ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है दिनांक 16.05.2022 को सुबह साढ़े–आठ–9 बजे की बात है। वह घर पर खाना खा रहा था, वह गाली–गलौच की आवाज सुनकर घर से बाहर आया। बाहर आकर देखा तो महेन्द्र, संतोष, सुगनाबाई, शंकरलाल, लोकेश, विष्णु आये जिनके हाथ मे लकडिया थी जो पवन के साथ मारपीट कर रहे थे। ये लोग शिवराज के घर के सामने मारपीट कर रहे थे। पवन के दाहिने हाथ की

अंगुलियों में और पैर में चोट आयी थी। उसने व शंकरलाल सैनी पुत्र फंदीलाल ने बीच–बचाव करवाया था।

18. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.10 रूपसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है दिनांक 16.05.2022 को वह थाना इन्दगढ़ में हैडकानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन लक्ष्मण हैडकानि. द्वारा उसको एफआईआर संख्या 95/2022 अंतर्गत धारा 341, 323, 147, 148, 504 भा.द.स. की पत्रावली वास्ते जांच हेतु उसे सुपुर्द की थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा बयान फरियादी शिवराज, पवन उर्फ बुद्धिप्रकाश, अनिता सैनी, महावीर प्रसाद, भूलीबाई, शिवराज, खुशबू, कुलदीप, शंकरलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कियें। मुलजिम पवन का डॉक्टरी मुआयना प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। घटनास्थल का नक्शामौका दिनांक 18.05.2022 को मूर्तिब किया जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

19. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.11 लक्ष्मणसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है दिनांक 16.05.2022 को वह पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि372 के पद पर कार्यरत होकर आई.सी. थाना था। उस दिन प्रार्थी चेतन सैनी निवासी छतरपुरा के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की। तहरीर रिपोर्ट के मजबून के आधार पर मुकदमा संख्या 95/2022 अंतर्गत धारा 143, 456, 323 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान हेतु पत्रावली रूपसिंह हैडकानि.694 को सुपुर्द की गयी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 है जिस पर थाने की कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन होकर उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.03 है जिस पर भी उसके हस्ताक्षर है।

20. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.12 शंकरलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है। करीब 2–3 साल पहने की बात है। वह इन्द्रगढ़ से दूध देकर उसके घर छत्रपुरा जा रहा था तभी उसने देखा कि शिवराज व शंकर के बीच लड़ाई–झगड़ा हो रहा था। उसने बीच–बचाव किया था, घटनास्थल पर 10–15 आदमी इकट्ठा हो गये थे। शंकरलाल डंडा निकालकर लाया था, जिससे बुद्धिप्रकाश के हाथ में चोट लग गयी थी।

21. **उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि क्या फरियादी व उसके परिवारजन को कुन्दालय से साधारण उपहति कारित हुई है।** इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.01 गणेशलाल को चिकित्सा अधिकारी के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने कथन किया है कि मजरूब पवन पुत्र शिवराज की चोटो का मेडिकल मुआयना किया। जिनमें चोट संख्या 1 खरोंच दाये हाथ के इंडेक्स फिंगर पर, चोट संख्या 2 कुचला हुआ घाव दाये पैर के घुटने पर कारित थी। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की कुंदाले से कारित होना बताया तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.01 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाने के संबंध में कथन किया है। अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है कि क्यों उक्त चिकित्सा अधिकारी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाना चाहिए। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डनीय रही है। अतः उक्त चिकित्सा अधिकारी की राय के आधार पर यह प्रमाणित है कि फरियादी व उसके परिवारजन को अभियुक्तगण द्वारा साधारण उपहति कुन्दाले से कारित की गई है।

22. **अब न्यायालय को यह देखना था कि क्या उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा ही फरियादी के परिवारजन के साथ मारपीट करके कारित की गई है।** इस संबंध में फरियादी की ओर से पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 में स्पष्ट रूप से **अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट देते हुए उनके द्वारा एकराय होकर लाठी व डण्डों से मारपीट किए जाने के संबंध में कथन कर रखा है** एवं उक्त गवाह जब न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ तो स्वयं को पी.ड.02 के रूप में परीक्षित करवाते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उस समय वहां पर लोकेश, महेन्द्र, शंकर, ललित व शंकर की लड़की सुगना आये व हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जिस कारण मेरे छोटे भाई पवन के हाथ की उंगली और पैर में चोटें आयी। मुलजिमान के हाथों में डण्डे व एक पलटा था एवं स्वयं आहत पवन पी.ड.03 ने कथन किया है कि मैं अपने घर पर अपने मम्मी भूली बाई, पापा, बडे भाई, व पवन के साथ था। **उसी समय वहां पर लोकेश, महेन्द्र, शंकर, ललित व शंकर की लड़की सुगना आये और हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।** जिस कारण मेरे को हाथ की उंगली व दाये पैर के घुटने में चोटें आयी। शंकर ने मेरे दाये हाथ की उंगली को चबा गया

था। मुलजिमानो के हाथों में डण्डे व एक पलटा था। अन्य गवाह पी.ड.04 अनिता ने कथन किया है कि **मेरे जेठ शिवराज के मकान के बाहर पडोसी शंकरलाल, लोकेश, ललित, महेन्द्र व संतोष बाई खडे हुए थे जो लठ्ठ लिये हुए थे।** मेरे जेठ का परिवार अन्दर खाना खा रहे थे। इन लोगों ने अन्दर घ ुसकर मेरे जेठ के लड़के पवन व बुद्धिप्रकाश के साथ मारपीट करने लगे। पी.ड.05 भूली बाई ने कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा पवन व बुद्धिप्रकाश के साथ मारपीट की गई। जिससे पवन के पैर और हाथ की अंगुली में चोट आयी। पी.ड.06 महावीर ने कथन किया है कि उसके भाईसाहब शिवराज का मकान उसके पास ही है, उनके घर के बाहर गाली गलौज और लड़ाई–झगड़े की आवाज आयी तब उसने और उसकी पत्नी अनिता ने बाहर निकल कर देखा तो शंकर, लोकेश, महेन्द्र, संतोष, ललित उसके भाईसाहब शिवराज के साथ गाली गलौच और लड़ाई–झगड़ा कर रहे थे। शंकर ने डण्डे की उसके भाई शिवराज के लडके पवन के पैर व हाथ की अंगुली में मारी थी। पी.ड.07 खुशबु सैनी ने कथन किया है कि शंकर गाली निकालता हुआ आया और उनके घर का गेट खोला, उसके भाई पवने के डण्डे से देने लगा। शंकरलाल उसको पकड़कर बाहर ले गया। **शंकर के साथ ललित, लोकेश, महेन्द्र, संतोष, शंकर की लड़की सुगना थी। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया।** पी.ड.08 शिवराज ने कथन किया है कि मैं उस समय घर पर मेरी पत्नी भूरी बाई, उसका बच्चा चेतन, दिनेश, खुशबू थे। तभी शंकरलाल, महेन्द्र, ललित, लोकेश, संतोष, सुगना हाथों में लकड़ियां लेकर आये। इन लोगों ने आते गाली–गलौच करते हुए हमारे साथ मारपीट की। पी.ड.09 कुलदीप ने कथन किया है कि वह घर पर खाना खा रहा था, वह गाली–गलौच की आवाज सुनकर घर से बाहर आया। **बाहर आकर देखा तो महेन्द्र, संतोष, सुगनाबाई, शंकरलाल, लोकेश, विष्णु आये जिनके हाथ मे लकडिया थी जो पवन के साथ मारपीट कर रहे थे। ये लोग शिवराज के घर के सामने मारपीट कर रहे थे।** पी.ड.12 शंकरलाल ने कथन किया है कि वह इन्द्रगढ़ से दूध देकर उसके घर छत्रपुरा जा रहा था तभी उसने देखा कि शिवराज व शंकर के बीच लड़ाई–झगड़ा हो रहा था। उसने बीच–बचाव किया था, घटनास्थल पर 10–15 आदमी इकट्ठा हो गये थे। शंकरलाल डंडा निकालकर लाया था, जिससे बुद्धिप्रकाश के हाथ में चोट लग गयी थी। शिवराज व शंकर के बीच किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था मुझे ध्यान नहीं है। ऐसे में स्वयं फरियादी व

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी गवाहों ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के परिवारजन के साथ मारपीट किये जाने के तथ्यों की ताईद कर रहे हैं। उक्त गवाहों की जिरह में कोई खण्डन उनकी साक्ष्य का नहीं हुआ है एवं अभियुक्तगण द्वारा आहतगण को कारित चोटे चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है।

23. **अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा एक आपत्ति यह ली गई है कि उक्त चोटें गिरने–पड़ने से भी आ सकती है।** इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि उक्त चोटें किस प्रकार से गिरने–पड़ने से आयी है एवं किस चीज पर गिरने–पड़ने से आयी है। मात्र मौखिक रूप से कथन किये जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आहतगण को चोटें गिरने–पड़ने से आयी हो, जबकि फरियादी व स्वयं आहत उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा लाठी–डण्डों से मारपीट करने का बता रहे हैं। ऐसे में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा ली गई आपत्ति सारहीन है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है उससे फरियादी के परिवारजन को साधारण उपहति कुन्दालय से कारित होना प्रमाणित है तथा आहतगण को उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना प्रमाणित है।

24. **जहां तक धारा 147 सपठित 149 भा.दं.सं. के अपराध का प्रश्न है** तो न्यायालय को यह देखना था कि क्या विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष सर्वप्रथम तो पूर्व में साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित होकर आए थे एवं स्वयं फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 एवं स्वयं आहत पवन पी.ड.03 व अन्य सभी गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादीगण के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में कथन कर रहे है व गवाह पी.ड.01 जो कि चिकित्सा अधिकारी है, उक्त ने स्वयं के द्वारा परिवादी के भाई पवन के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया है व आहत को कुन्द हथियार से साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना बताया है। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि परिवादी व उसके परिवारजन को साधारण उपहति कुन्दाले से कारित हुई है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा

ही कारित की गई है तो अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि उक्त विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा दल कि किसी सदस्य के द्वारा बल व हिंसा का प्रयोग किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147 सपठित 149 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित है।

25. **जहां तक धारा 148 भा.दं.सं. का प्रश्न है तो** न्यायालय को यह देखना था कि क्या बलवा कारित करते वक्त विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने आए हैं तो इस संबंध में फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 में उसके भाई पवन के लाठी व डण्डों से उसके हाथ व पैर पर मारपीट करने के संबंध में कथन किया है व न्यायालय के समक्ष बयानों में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी गवाहों ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में कथन किया है व स्वयं आहत इसकी ताईद की है। ऐसे में उक्त साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा एकराय होकर मारपीट किए जाने के संबंध में कथन कर रहे हैं। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि बलवा कारित करते समय विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा घातक आयुध के द्वारा बलवा कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 148 भा.दं.सं. का अपराध भी प्रमाणित पाया गया है।

26. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.05.2021 को रात्रि करीब 09.00 बजे ग्राम छत्रपुरा स्थित परिवादी के घर पर परिवादी चेतन को बिना किसी विधिक प्रतिहेतु के निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं परिवादी चेतन व उसके परिवार के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा गाली–गलौच करते हुए लोकशांति भंग करने का अपराध किया एवं विधि विरुद्ध जमाव कर बल या हिंसा का प्रयोग किया एवं घातक आयुध या किसी आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु संभाव्य हो से सज्जित होते हुए बलवा का अपराध कारित किया। अतः अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

27. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण 1. शंकरलाल** सैनी पुत्र श्रवणलाल माली उम्र 53 साल, **2. विष्णु कुमार उर्फ ललित** पुत्र शंकरलाल सैनी उम्र 25 साल, **3. लवकुश उर्फ लोकेश** सैनी पुत्र श्रवणलाल माली उम्र 53 साल, **4. महेन्द्र** सैनी पुत्र लवकुश उर्फ लोकेश सैनी उम्र 28 साल, **5. श्रीमती संतोष बाई** पत्नी लवकुश उर्फ लोकेश सैनी माली उम्र 48 साल, निवासीगण छत्रपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्व ारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

28. **सजा के बिंदू** पर सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित सजा से दंडित किए जाने का निवेदन किया। जबकि अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया कि प्रथमदृष्टया अपराध है। अतः आरोपीगण को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर लाभ प्रदान किया जावें।

29. अभिलेख से अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि प्रकट नहीं होने से उक्त अपराध अभियुक्तगण का प्रथम अपराध दृष्टिगत होता है एवं अभियुक्तगण लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे है। **उक्त प्रकरण का कोस मुकदमा संख्या 187/2022 बउनवान राज्य बनाम चेतन वगै0 है एवं प्रकरण आपसी लड़ाई–झगड़े का प्रतीत होता है।** अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय अभियुक्तगण को सीधे ही कारावास के दंड से दंडित करना न्यायसंगत नहीं पाता है किंतु सुधार का एक अवसर दिए जाने हेतु आरोपी/अभियुक्तगण को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाता है।

30. एतद् द्वारा अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 5 को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध में दोषसिद्धि पर अभियुक्तगण धारा 4 परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानुसार यदि 10,000

रूपये की एक सुदृढ़ जमानत व इसी राशि का स्वयं का बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए इस आशय का पेश कर न्यायालय के संतुष्टिप्रद तस्दीक करावें कि वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, सदाचार शांति बनाए रखेंगे तथा जब भी न्यायालय दंड भुगतने हेतु तलब करेगा तो न्यायालय में उपस्थित हो जावेगे तो उसे परीवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण को धारा 5 (1) (क) परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानानुसार रूपये 1000 (अक्षरे एक हजार रूपये) अभियोजन व्यय के रूप में एवं प्रतिकर राशि के रूप में 5x1000 कुल 5000/– रुपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) अधिरोपित किये जाते है जो कि बाद गुजरने मियाद अपील आहत/परिवादीगण को अदा किये जावेंगे।

31. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करें।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

32. निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़